मु.नं.–13 / 2021 GCMS ID-2021/15 ता.रजु–19.01.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

खचेरा पुत्र स्व. श्री रतनलाल जाति माली निवासी ग्राम मण्डरायल, तहसील मण्डरायल जिला करौली(राज.) मो.नं. 9024088154 – अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं राजस्थान राज्य भू–अभिलेखागार, करौली
2. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मण्डरायल – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–24.02.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण प्रकरण की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी उपस्थित।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम मण्डरायल के खाता संख्या 69 की विभिन्न वर्षों की जमाबंदियां, मिलान क्षेत्रफल, ट्रेस नक्शा, नामांतरकरण, बदले गये खाता संख्या आदि कुल 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थीगण द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।
6. अपीलार्थी ने बहस में कथन किया है कि पेंशन बनबाने की कहकर अपीलार्थी से पत्र पर अंगूठा लगवाया गया है। उसे कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है। अतः सूचना दिलवाने के आदेश फरमाये जावें।
7. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पत्रांक–सू.अ.अ./2021/70 दिनांक 12.02.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 10.11.2020 को उनके कार्यालय में प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध तहसील मण्डरायल से होने के कारण उनके पत्र क्रमांक–650 दिनांक 13.11.2020 को निर्धारित समय सीमा के अंदर अपीलार्थी का आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मण्डरायल को अंतरित कर दिया गया एवं सूचना अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई। तहसीलदार मण्डरायल द्वारा पत्र क्रमांक 717 दिनांक 07.12.2020 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर अपीलार्थी को सूचना प्रदान कर दी गई है जिस पर स्वयं अपीलार्थी के अंगूठा निशानी हैं।
8. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पत्रांक–आर.टी.आई./2021/135 दिनांक 09.02.2021 से अवगत करवाया है कि उनके पत्र क्रमांक 717 दिनांक 07.12.2020 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।
9. तहसीलदार मण्डरायल के पत्रांक 717 दिनांक 07.12.2020 के अनुसार अपीलार्थी को सूचना प्रदान कर दी गई है जिस पर स्वयं अपीलार्थी की अंगूठा निशानी है और अपीलार्थी का कथन है कि उसे सूचना नहीं दी गई है। पेंशन बनबाने की कहकर उससे अंगूठा लगवाया गया है। इसलिये हम अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 2 को आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।
10. अस्तु अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 को आदेश दिये जाते हैं कि वे निर्णय प्राप्ति उपरांत नियमानुसार अविलम्ब सूचना अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करावें।
11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
13. निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली